कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/मा/हिनि/28129/चिकित्सा/2019–20 दिनांकः– 10-12-2019

निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर,
निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
समस्त संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक/प्रारंभिक)
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)(माध्यमिक/प्रारंभिक)
समस्त डाईट प्राचार्य
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

विषयः– हितकारी निधि से चिकित्सा व्यय मद में सहायता प्रदान करने बाबत संसोधित आदेश।

हितकारी निधि से शिक्षा विभागीय कार्मिकों को चिकित्सा व्यय मद से पूर्व में 5000/– रूपये तक की सहायता नियमों एवं शर्तानुसार प्रदान की जाती रही है, अब इस सहायता राशि को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 20,000/– रूपये निम्न नियमों एवं शर्तो के अनुसार प्रदान की जा सकेगीः–

01 शिक्षा विभागीय कार्मिक जो वर्ष 2018–19 से नियमित अंशदाता है, उन्हे यह सहायता राशि प्रदान की जा सकेगी।

02 शिक्षा विभाग के कार्मिक या उनके आश्रित को असाध्य रोग, गंभीर प्रकृति की बीमारी अथवा लम्बे समय तक चिकित्सालय में भर्ती रहने की स्थिति में सहायता देय होगी।

03 कार्मिक को राज्य सरकार द्वारा नियमों के अनुसार चिकित्सा व्यय पुर्नभरण होने के बाद ऐसी राशि जिसका पुर्नभरण राजकीय नियमों में नहीं हो सका हो उस राशि में से शेष रही राशि अधिकतम 20,000/– तक की सीमा में सहायता देय होगी।

04 चिकित्सा सहायता प्राप्त करने हेतु कार्मिक को जिस राशि का भुगतान राज्य सरकार के नियमों में नहीं हुआ है, उनके मूल वाउचर, डॉक्टर पर्ची, चिकित्सक द्वारा प्रमाणित हो प्रस्तुत करने होंगे।

05 गंभीर प्रकृति/असाध्य रोग अथवा लम्बे समय तक चिकित्सालय में भर्ती होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

06 यह लाभ सेवाकाल में एक बार ही देय होगा।

उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि,
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षक संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
4. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोटर्स स्कूल, बीकानेर।
5. पंजियक शिक्षा विभागीय परीक्षायें, बीकानेर।
6. संपादक शिविरा पत्रिका।
7. संयुक्त निदेशक कम्प्यूटर (कार्यालय हाजा) को विभागीय वेब–साईट एवं शालादर्पण/शालादर्शन पर अपलोड़ करने बाबत।

उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि,
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

हितकारी निधि

कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

<u>हितकारी–निधि (राजस्थान शिक्षा विभाग,बीकानेर) से बीमारी पर वित्तिय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र)</u>

1	कर्मचारी का नाम	....
2	कर्मचारी का पद एवं पदस्थापन स्थान	....
3	कर्मचारी का स्थाई पता	....
4	टेलिफोन नम्बर/ मोबाईल नम्बर कर्मचारी की Employe ID संख्या	....
5	कार्मिक का बैंक खाता विवरण पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति (प्रमाणित) या निरस्त चैक	....
6	हितकारी निधि अंशदान वित्तीय वर्ष 2018–19 से ई0सी0एस0 एवं शिड्यूल की प्रति संलग्न करें।	....
7	रोगी का नाम	....
8	रोगी का कर्मचारी से सम्बन्ध	....
9	रोगी का रोग ग्रस्त होने का स्थान	....
10	रूग्णता प्रमाण पत्र (संलग्न करें)	....
11	चिकित्सालय का नाम जहा रोगी का ईलाज कराया गया है/चल रहा है।	....
12	रोगी के अस्पताल में रहकर ईलाज कराने की अवधि	....
13	रोगी की परिचर्चा पर कुंल व्यय	....
14	उक्त व्यय में से कितना व्यय चिकित्सा परिचर्या नियमों के अर्न्तगत प्रतिपूर्ति हुआ।	....
15	चिकित्सक से प्रमाणित विपत्र जिसका नियमों में पुर्नभरण नहीं हुआ हों। (संलग्न करें)	....

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है। इन बिन्दुओं मे कोई असत्यता पाई जाती है तो हितकारी–निधि, शिक्षा–विभाग, बीकानेर मेरे विरूद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा यह मुझे स्वीकार्य होगी।

कर्मचारी के हस्ताक्षर मय पद
एवं कार्यरत स्थान

....

<u>प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय/सी0बी0ई0ओ0) एवं संस्था प्रधान से अग्रेसित करवाया जाना है</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है इनका हितकारी निधि वार्षिक अंशदान .... बिल संख्या .... दिनांक .... टी0वी0 नम्बर..................... टी0वी0 दिनांक .... द्वारा कटौती की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अध्यक्ष, हितकारी–निधि, शिक्षा–विभाग, बीकानेर को सहायता हेतु अनुशंषा सहित अग्रेषित किया जाता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी/सी0बी0ई0ओ0
(मुख्यालय)
(मोहर)

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान(मोहर)